Seat) से रियायती सीटों, गैर रियायती सीटों (Non-Subsidised Seat) से गैर रियायती सीटों के अतिरिक्त गैर रियायती सीटों से रियायती सीटों एवं रियायती सीटों से गैर रियायती सीटों पर भी कर दिया जाएगा।

iii. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के मध्य किसी भी शुल्क का समायोजन नहीं किया जाएगा।

15. प्रशिक्षणार्थियों के लिए सामान्य नियम एवं अन्य जानकारी

(i) वर्दी (Uniform) : -

प्रशिक्षणार्थी निर्धारित वर्दी के दो या इससे अधिक सेट संस्थान में प्रशिक्षण शुरू होनें से पहले तैयार करवा लें तथा प्रतिदिन अपने निवास स्थान /छात्रावास से संस्थान और वापिस निवास स्थान /छात्रावास तक पहुँचने तक वर्दी को पहनना अनिवार्य होगा।

ड्रेसकोड:

ग्रीष्मकालीन:

लड़कों के लिए	: स्काई ब्लू रंगकीशर्टऔरनेवी ब्लू रंग की पेंट (Formal) तथा कालेजूते।
लड़कियों के लिए	: हरे रंग की सलवार कमीज और दुपट्टा तथा काले जूते

शीतकालीन:

लड़कों के लिए	**:**सर्दियों के कपडे की स्काई ब्लू रंगकीशर्ट, नीले रंग की स्वेटर/पुल-ओवर और नेवी ब्लू रंग की पेंट (Formal) तथा काले जूते।
लड़कियों के लिए	**:**हरे रंग की सलवार कमीज और दुपट्टा, मेरून स्वेटर तथा काले जूते ।

नोट:

1. प्रशिक्षणार्थी (इंजीनियरिंग व्यवसाय) को कार्यशालाओं में काम करते वक्त गहरे नीले रंग का एप्रन पहनाना होगा।
2. चप्पल, ढीली एवं सिंथेटिक फाइबर से बनी पोशाक कार्यशाला में पहनने की अनुमति नहीं है। कार्यशाला इंचार्ज प्रशिक्षणार्थियों की सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह से ड्रेस्ड उम्मीदवारको कार्यशाला में प्रवेश से रोक सकते हैं।
3. बिना निर्धारित पोशाक पहने और बिना पहचान पत्र के संस्थान में भाग लेने पर प्रशिक्षणार्थी को 25/- रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर वह संस्थान में लगातार अनुशासनहीनता करना जारी रखता है तो उसे प्राधानाचार्य द्वारा संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है।

(ii) प्रशिक्षणार्थियों की छुट्टियों के लिए नियम :-

प्रशिक्षणार्थियों की छुट्टियों (Casual, Medical,Special Leaves) के लिए नियम DGT द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जाते हैं एवं प्रशिक्षणार्थियों की छुट्टियों के लिए DGT द्वारा निर्धारित (Latest) नवीनतम नियम ही लागू होंगे।

(iii) प्रशिक्षणार्थियों का पुनः प्रवेश :-

राजकीय/ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लगातार 10 कार्यकारी दिवसों तक बिना अवकाश प्राप्त किये अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षणार्थी का नाम हाजरी रिजिस्टर से काट दिया जायेगा । प्रशिक्षणार्थी यदि नाम कटने के 15 दिनों की अवधि के अन्दर प्रशिक्षण हेतू वापिस आ जाये, तो उसे निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश की अनुमति से कक्षा मेंदोबारा दाखिल कर सकते हैं । ऐसे दोबारा दाखिल हुए प्रशिक्षणार्थी को 500/- रूपये पुनः प्रवेश शुल्क के रूप में देनें होंगे परन्तु डी.जी.टी. द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी परीक्षा उपस्थिति इत्यादि से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करने पर ही अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

(iv) प्रशिक्षणार्थियों के लिए न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति:-

प्रशिक्षणार्थियों के लिए न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति के लिए नियम DGT द्वारा समय समय पर निर्धारित किये जाते हैं एवं प्रशिक्षणार्थियों के लिए न्यूनतम अनिवार्य उपस्थिति के लिए DGT द्वारा निर्धारित नवीनतम(Latest) नियम ही लागू होंगे।

(V) प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और वजीफा:-

1. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला प्रशिक्षणार्थी को शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार छात्रवृतियां दी जाती है, परन्तु यह छात्रवृतियां संस्थान की स्वीकृत क्षमता के आधार पर ही दी जाएंगी। इनके आतिरिक्त अनुसूचित जातियों, जन जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग,भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को भी सम्बन्धित विभाग द्वारा छात्रवृति दी जाती है।यह सुविधा सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार दी जाती है। छात्रवृतियों के लिए समय पर आवेदन पत्र देनाप्रशिक्षणार्थी की अपनी जिम्मेवारी होगी तथा इनका सम्बन्धित प्रधानाचार्य पर कोई उतरदायित्व नहीं होगा।
2. इच्छुक प्रत्याशी समय-समय पर प्रधानाचार्य के कार्यालय से संपर्क रखें और छात्रवृतियों के आवेदन पत्र तथा उनकी अंतिम तिथि इत्यादि का पता करते रहें और निश्चित तिथि से पहले फॉर्म पूर्ण रूप से भर कर कार्यालय में जमा करवाएं।
3. उपरोक्त वर्णित छात्रवृतियों के लिए संस्थान के सभी प्रशिक्षणार्थी (including the trainees of IMC /PPP Mode) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित योग्यता /वर्गानुसार पात्र होंगे। सभी पात्र प्रशिक्षणार्थियों का राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता न., IFSC Code,तथा आधार कार्ड होना आवश्यक है ।
4. कौशल विकास भत्ता 16 वर्ष से अधिक आयु के प्रशिक्षणार्थियों के लिए जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रु० से कम हो या सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार लागू होगा ।

(vi) परीक्षा :-

प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा के लिए नियम DGT द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाते हैं एवं प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा के लिए DGT द्वारा निर्धारित (Latest) नियम ही लागू होंगे।

(vii) आन्तरिक मूल्यांकन:-

(अ**)** आन्तरिक मूल्याकन के लिए डी.जी.टी. द्वारा निर्धारित नवीनतम नियम लागु होंगे।

(ब**)** मासिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले उम्मीदवार को रुपये **100/-** रु० प्रति विषय का जुर्माना किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थी अगर गंभीर बीमारी या उसके नियंत्रण से परे किसी भी अन्य परिस्थितियों के कारण अनुपस्थित है**,** तो सम्बन्धित आईटीआई के प्रधानाचार्य इस तरह के प्रशिक्षणार्थी के लिए एक विशेष परीक्षा (एम आई एस पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की समय सीमा को ध्यान रखते हुए) अनुसूचित कर सकते हैं।

(viii) कौशल प्रतियोगिता:-

प्रशिक्षणार्थियों के कौशल के स्तर को बढ़ाने के लिए एवं उनमे पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है ।

(ix) प्रवास (Migration) :-

सभी नए प्रशिक्षणार्थियों को डीजीटी, भारत सरकार की एम आई एस पोर्टल पर डी.जी.टी. द्वारा तय तिथि तक रजिस्टर करना अनिवार्य है। डीजीटी, भारत सरकार प्रवास के लिए नियम निर्धारित करती है तथा इसके नवीनतम (latest) नियम ही लागू होंगे। प्रवास हेतु प्रवास फी 1000/- रूपये (non-refundable) होगी। प्रवास हेतु निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाए :

1. निदेशालय द्वारा केवल राजकीय औद्योगिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों का प्रवास नियमानुसार एक संस्थान से दुसरे संस्थान में किया जा सकता है।
2. निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों का एक संस्थान से दुसरे संस्थान में प्रवास नहीं होगा ।
3. NCVT के तहत चल रहे व्यवसायों में प्रवास के लिए DGT द्वारा निर्धारित तिथि तक ही आवेदन स्वीकार किये जांयगे।
4. NCVT के तहत चल रहे व्यवसायों से SCVT के तहत रहे व्यवसायों में या SCVT के तहत चल रहे व्यवसायों से NCVT के तहत रहे व्यवसायों में प्रवास दोनों योजनाओं के प्रशिक्षण एवं परीक्षा समय के भिन्न होने के कारण स्वीकार नहीं किया जायगा।
5. रियायती सीटों से गैर रियायती सीटों एवं गैर रियायती सीटों से रियायती सीटों में चल रहे व्यवसायों में प्रवास नहीं होगा।

(x) एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग :-

प्रत्येक प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी को Appendix-II के अनुसार H.P. Educational Institutions (Prohibition of Ragging) Act-2009 से सम्बन्धितप्लेन कागज पर आत्म सत्यापित undertaking (self attested undertaking on a plain paper) संस्थान में प्रधानाचार्य को देना होगा।

16. अनुशासन

16.1 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को संस्थान में व्यावहारिक नियमों का पालन करना होगा ताकि वह उन सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें जो कि उसे प्रदान की गई हैं। यह नियम केवल मात्र प्रशिक्षणार्थियों एवं उनके सहपाठियों की भलाई और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बनाये गये हैं। इनको बिना सुचना दिये समय समय पर बदला जा सकता है।प्रशिक्षणार्थियों को चाहिए की वे प्रतिदिन की सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करें ।नियमों की अज्ञानता के कारण उलन्घन करने पर माफ़ नहीं किया जायेगा ।

16.2 प्रशिक्षणार्थियों से आशा की जाती है कि वे सबसे सद-व्यवहार करें, और अपने सभी सहपाठियों के साथ सम्मान पूर्वक रहें। संस्थान के सभी कर्मचारियों को पूर्ण अधिकार है कि वे प्रशिक्षणार्थियों के गलत व्यवहार को रोकें, चाहे वे संस्थान के अन्दर हों या बाहर हों, और ऐसी स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों को उनकी आज्ञा का पालन करना होगा।

16.3 ऊँची आवाज में बोलना और बिना उद्देश्य से घूमना, यह बात दूसरों के लिए नाराजगी तथा गड़बड़ी पैदा करने वाली होने के नाते वर्जित होगी ।

16.4 धूम्रपान, गुटका, मधपान और जुआ खेलने को संस्थान की सीमा के अन्दर तथा बाहर आज्ञा नहीं होगी। यदि कोई भी प्रशिक्षणार्थी इस नियम का उलन्घन करता हुआ पाया गया तो उसको गलती पर पहली बार रूपये 100/- का जुर्माना लिया जायेगा, दूसरी बार रूपये 200/- तथा तीसरी बार प्रशिक्षणार्थी का संस्थान से नाम काट दिया जाएगा।

16.5 कक्षा में देरी से आना या कक्षा से बिना अनुमति के चले जाना, उस पीरियड के लिए प्रशिक्षणार्थी की अनुपस्थिति मानी जायेगी तथा इसके लिए 10/- रूपये जुर्माना लिया जाएगा (अधिकतम 30/- रूपये प्रतिदिन) । बिना आज्ञा अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षणार्थी को 15/- रूपये प्रति आधा दिवस अर्थात् Recess से पहले या बाद में अथवा 30/- रूपये प्रति दिवस (Full day) की दर से जुर्माना देना होगा।

16.6 किसी उपकरण से छेड़छाड़ करने या बिना आज्ञा किसी विभाग में प्रवेश करना वर्जित होगा।

16.7 किसी भी प्रशिक्षणार्थी का संस्थान के कर्मचारियों पर कोई अधिकार नहीं होगा ।

16.8 सामान, मशीनें और सब प्रकार के यंत्र, औजार और उपकरण प्रयोग के बाद उचित स्थान पर रखे जायें। अगर ये प्रयोग के समय नष्ट/ ख़राब हो गये हों, तो उन कारणों को इन्चार्ज को तुरंत ही बताना होगा। यदि यह सामान असावधानी से नष्ट/ ख़राब हुआ हो तो यंत्र, औजार या दूसरे उपकरणों का मूल्य चुकाना होगा तथा सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा तय जुर्माना भी इस हेतू देना होगा।

16.9 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में किसी प्रशिक्षणार्थी के सामान या धन इत्यादि खो जाने या नष्ट हो जाने पर संस्थान पर इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी ।

16.10 प्रशिक्षणार्थी को सभी प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए यदि संस्थान, छात्रावास, कार्यशाला, प्रयोगशाला या in-plant Training में किसी प्रशिक्षणार्थी के साथ कोई दुर्घटना घट जाये तो संस्थान/विभाग की जिम्मेवारी नहीं होगी ।

16.11 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को संस्थान में अपने अध्ययन का पूरा ध्यान रखना होगा। यदि किसी प्रशिक्षणार्थी का अध्ययन कार्य संतोषजनक नहीं होगा तो उसे दो चेतावनियाँ दी जाएंगी। यदि फिर भी वह अपने अध्ययन में सुधार नहीं कर पाया तो उसे नियमानुसार संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है।

16.12 यदि कोई प्रशिक्षणार्थी चरित्रहीन हो जाये तो प्रधानाचार्य द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रशिक्षणार्थी को संस्थान से निष्कासित करने का अधिकार होगा।

16.13 यदि कोई प्रशिक्षणार्थीअपने कार्य को ध्यानपूर्वक न करे या संस्थान के अधिकारियों/ कर्मचारियों की आज्ञा का पालन न करे तो उसे प्रधानाचार्य द्वारा लिखित चेतावनी दी जा सकती है। यदि प्रशिक्षणार्थी दो अवसरों के उपरान्त भी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता है तो उस अवस्था में प्रधानाचार्य को उसे नियमानुसार संस्थान से निष्कासित करने का अधिकार होगा।

16.14 प्रवेश के समय प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को पहचान पत्र दिये जायेंगे पहचान पत्र गुम हो जानें पर प्रशिक्षणार्थी को लिखित सूचना तुरंत सम्बन्धित प्रधानाचार्य को देनी होगी, और उसे 100/- रूपये जुर्माना तथा 100/- रूपये प्रति अतिरिक्त पहचान पत्र शुल्क लेकर पहचान पत्र दिया जायेगा। इसकी सूचना न देने पर या बाद में पता लगने पर प्रशिक्षणार्थी को कड़ी चेतावनी के साथ 100/- रूपये जुर्माना एवं 100/- रूपये प्रति अतिरिक्त पहचान पत्र शुल्क लेकर पहचान पत्र दिया जायेगा ।

16.15 प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को अपनी धनराशी स्थानीय डाक घर या बैंक में जमा करवानी चाहिए और अवश्यकतानुसार धन निकलवाना चाहिए। प्रशिक्षणार्थी की धनराशी के गुम या चोरी होने पर संस्थान जिम्मेवार नहीं होगा ।

16.16 संस्थान से सम्बन्धित सभी मामलों या नियमों के विषय में सम्बन्धित प्रधानाचार्य का निर्णय अन्तिम व सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए मान्य होगा ।

16.17 यदि किसी भी समय प्रधानाचार्य को पता लग जाये की अमुक प्रशिक्षणार्थी ने संस्थान में प्रवेश पाने या छात्रवृति प्राप्त करने हेतू किसी जाली प्रमाण पत्र या गलत तरीकों का प्रयोग किया है, तो उसे तत्काल प्रभाव से संस्थान से निष्कासित कर दिया जायेगा और इसके अलावा उसके विरुद्ध नियमानुसार क़ानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। यदि अनैतिक रूप से किसी प्रशिक्षणार्थी ने छात्रवृति की राशि प्राप्त कर ली हो तो ब्याज सहित वह राशि भी संस्थान को वापिस करनी होगी।

16.18 यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के दौरान किसी भी Police Case में Involved पाया जाता है, तो संस्थान के प्रधानाचार्य को यह पूर्ण अधिकार होगा कि सम्बन्धित प्रशिक्षणार्थी का प्रवेश तत्क्षण रद्द कर दें तथा ऐसे प्रशिक्षणार्थी को पुनः प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

16.19 प्रशिक्षणार्थीयों के लिए संस्थान में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वर्जित है, उलन्घन करने वाले प्रशिक्षणार्थीयों से पहली बार रूपये 100/- का जुर्माना लिया जायेगा, दूसरी बार रूपये 200/- तथा तीसरी बार प्रशिक्षणार्थी का संस्थान से नाम काट दिया जाएगा।

16.20 रैगिंग क़ानूनी तौर पर पूरी तरह वर्जित है ।

16.21 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थी पुरस्कार: प्रशिक्षणार्थियों को अनुशासन की तरफ प्रोत्साहित करने हेतु, व्यवसायवार जिन प्रशिक्षणार्थीयों की उपस्थिति 95 प्रतिशत एवं उससे अधिक तथा प्रत्येक विषय में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक होंगे उन्हें संस्थान के छात्र कल्याण निधि/ संस्थान प्रबन्धन समिति निधि से व्यवसायवार/ प्रति वर्ष रुपए 5100/- दिए जायंगे।

नोट :-प्रत्येक प्रवेशित प्रशिक्षणार्थी को Appendix –II के अनुसार H.P. Educational Institutions (Prohibition of Ragging) Act-2009 से सम्बन्धित अंडरटेकिंग संस्थान में देनें पर ही प्रवेश दिया जायेगा।कृपया इसेसंस्थान को Joinकरते समय जमा करवायें।

RAGGING, INSIDE/OUTSIDE THE INSTITUTION, IS AN OFFENCE. AS PER THE HIMACHAL PRADESH EDUCATIONAL INSTITUTION (PROHIBITION OF RAGGING) ACT-2009, EVERY OFFENCE UNDER THIS ACT SHALL BE COGNIZABLE, NON-BAILABLE AND COMPOUNDABLE WITH THE PERMISSION OF HON'BLE COURT. IF ANY STUDENT IS FOUND INDULGING IN RAGGING ACTIVITIES DIRECTLY OR INDIRECTLY, STRICT ACTION WILL BE TAKEN AGAINST HIM/HER AS PER LAW.

17. संस्थानों की समय सारणी (सामान्य एवं शिफ्ट)

(i) कार्य दिवस :-सोमवार से शनिवार (हर दूसरे शनिवार छुट्टी होगी)। विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर संस्थान हर रविवार और राजपत्रित छुट्टियों को बंद रहेगा |

(ii)कार्य के घंटे: -आई टी आई में कार्यभार वितरण प्रशिक्षण महानिदेशालय के द्वारा जारी नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

(iii)शिफ्ट स्थिति: -

संस्थान एक / दो / तीन शिफ्ट में कार्य कर सकते हैं। शिफ्ट के सामान्यत: समय इस प्रकार हैं:

सुबह की शिफ्ट	:	7:30 AM -3:00 PM
सामान्य शिफ्ट	:	9:30 AM -5:00 PM
शाम की शिफ्ट	:	1:00 PM -8:30 PM

नोट :- 1. बेस यूनिट सामान्य शिफ्ट में चलाये जायेंगे।

2. उपरोक्त शिफ्टों का अधिकतम एवं न्यूनतम समय DGT द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा इस सम्बन्ध में DGT द्वारा जारी नवीनतम (Latest) नियम लागू होंगे।